

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 5329209
ग्रा0वि0-6-बजट/05-08/2025

पटना, दिनांक 16/03/26

प्रेषक,

मन्जु प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-42 के तहत DAY-NRLM अंतर्गत SVEP योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के सामान्य मद में प्रथम किस्त प्रथम भाग के रूप में विमुक्त केन्द्रांश की राशि रू0 674.10 लाख (छह करोड़ चौहत्तर लाख दस हजार) के आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-5314117 दिनांक-12.03.2026
उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-S-11052/27/2015/NRLM (SVEP)/Bihar (SVEP_17) दिनांक-02.02.2026 के द्वारा SVEP योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के सामान्य मद में प्रथम किस्त प्रथम भाग के रूप में विमुक्त केन्द्रांश की राशि रू0 674.10 लाख (छह करोड़ चौहत्तर लाख दस हजार) विमुक्त किया गया है । विमुक्त केन्द्रांश की राशि रू0 674.10 लाख (छह करोड़ चौहत्तर लाख दस हजार) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-5314117 दिनांक-12.03.2026 द्वारा प्रदान की गयी है।

2. उक्त के आलोक में राशि रू0 674.10 लाख (छह करोड़ चौहत्तर लाख दस हजार) का आवंटन निम्नवत् किया जाता है:-

क्र0सं0	मद एवं विपत्र कोड (विषय शीर्ष सहित)	केन्द्रांश
1	2	3
1	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष- 0205 स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम(एसवीईपी) (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42-2501061010205 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (सामान्य मद)	674.10
कुल :-		674.10 लाख (छह करोड़ चौहत्तर लाख दस हजार)

3. आवंटित राशि की निकासी विभागीय मांग सं0-42 के अंतर्गत उपरोक्त सारणी के कॉलम-2 में अंकित बजट शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय है।

4. अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8593 वि0(2) दिनांक-27.11.2007 में निहित प्रावधान के अंतर्गत की जायेगी।

5. अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि की निकासी कर Single Nodal Account (SNA) Bihar Rural Livelihoods Promotion Society-SVEP, Punjab National Bank, Account No.-2910000100235506, IFSC Code- PUNB0291000, Branch Code-291000 Boring Road, Patna, Bihar में जमा कर देंगे।

6. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक, बी०आर०एल०पी०एस०, विद्युत भवन, पटना इस राशि की निकासी कर व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, नई दिल्ली, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं इस विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राशि व्यय की जायेगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक-05.10.2007 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

Wj 16.3.26

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5329209 पटना, दिनांक 16/03/26

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Wj 16.3.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5329209 पटना, दिनांक 16/03/26

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार (सिंचाई भवन), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Wj 16.3.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5329209 पटना, दिनांक 16/03/26

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह- राज्य मिशन निदेशक, जीविका, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना / आईटी०मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) /विभागीय लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Wj 16.3.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5329209 पटना, दिनांक 16/03/26

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Wj 16.3.26

सरकार के अपर सचिव